आयोजनेत्तर

संख्या– 1930/III (2)/04–8 (बजट)/2004

प्रेषक,

टी0के0पन्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

प्रभारी मुख्य अभियन्ता स्तर–1
लो.नि.वि.देहरादून ।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादूनः दिनॉक 10 सितम्बर 2004

विषयः– वर्ष 2004–2005 मे सरकारी आवासीय/अनावासीय भवनो के अनुरक्षण हेतु धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1770/09(बजट)(भवन अनुरक्षण)/04–05दिनांक 28.8.2004 के सन्दर्भ में एवं शासनादेश संख्या–480/III–2/04–8(बजट)/04 दिनांक 18.5.04 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2004–05 में सरकारी आवासीय/अनावासीय भवनों का अनुरक्षण सामान्य मरम्मत में अवशेष प्राविधानित रू0 10500 हजार तथा विशेष मरम्मत अनुरक्षण में अवशेष धनराशि रू0 5000 हजार (आयोजनेत्तर) अर्थात कुल रू0 15500 हजार(रू0 एक करोड पचपन लाख मात्र) की धनराशि को संलग्न विवरणानुसार व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2– उक्त स्वीकृत धनराशि का साख सीमा के आधार पर कोषागार से आहरण किया जायेगा, यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू निर्माणाधीन योजनाओ पर किया जायेगा कार्यवार आवंटित धनराशि के उपयोग की सूचना शासन को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराई जायेगी, विगत वर्ष स्वीकृत समस्त धनराशि के पूर्ण उपयोग एवं उसकी वित्तीय /भौतिक प्रगति के विवरण देने के उपरान्त ही आहरण किया जायेगा ।

3– लो.नि.वि. की दरों पर मरम्मत कार्य, आगणन गठित करने के उपरान्त तद्विषयक मानकों के अनुसार सक्षम स्तर से स्वीकृति के बाद ही लिए जायेंगे । यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि व्यय चालू कार्य की पूर्वानुमानित लागत की सीमा तक ही किया जाय ।

4– व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्कता हो, उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय । निर्माण कार्य पर व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ–2 विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय । किसी भी दशा मे निर्धारित मानक की सीमा से अधिक व्यय नहीं किया जायेगा ।

5– उक्त स्वीकृत धनराशि का कार्यवार आबंटन कर वित्तीय /भौतिक लक्ष्यों का विवरण प्राथमिकता के आधार पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा ।

6– कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें ।

7– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.3.05 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा ।

क्रमश 2/-

8- इस संबध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2004-05 के आय व्ययक के अनुदान संख्या -22 लेखाशीर्षक 2216-आवास-01 सरकारी रिहायशी भवन (मतदेय)-आयोजनेत्तर-700-अन्य आवास-04 -सरकारी आवासीय /अनावसीय भवनों का अनुरक्षण -01-सामान्य मरम्मत तथा 02 विशेष मरम्मत के अर्न्तगत संलग्नक मे उल्लिखित सुसंगत प्राथमिक इकाईयो के नामे डाला जायेगा ।

9- यह आदेश वित्त विभाग के अ0श0संख्या-1051/वित्त अनुभाग-3/04 दिनांक,31अगस्त, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(टी0के0पन्त)
संयुक्त सचिव ।

संख्या-1320 (1)/III (2)/04 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा प्रथम) उत्तरांचल,देहरादून ।
2- आयुक्त गढवाल, कुमायू मण्डल पौडी/ नैनीताल ।
3- श्री एल0एम0पन्त, अपर सचिव वित्त बजट अनुभाग ।
4- निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी को मा0 मुख्य मंत्री जी के अवलोकनार्थ ।
5 - समस्त जिलाधिकारी/ कोषाधिकारी उत्तरांचल ।
6- मुख्य अभियन्ता गढवाल / कुमाऊ क्षेत्र लो.नि.वि./पौडी/ अल्मोडा ।
7- वित्त अनुभाग-3/ वित्त नियोजन प्रकोष्ठ,उत्तरांचल शासन ।
8- निदेशक ,राष्ट्रीय सूचना केन्द्र,उत्तरांचल, देहरादून
9- लोक निर्माण अनुभाग-1/ गार्ड बुक ।

आज्ञा से

(टी0के0 पन्त)
संयुक्त सचिव ।

R.C.joshi-Go-39

शासनादेश संख्या–1520/ III–2/04–8(बजट) /2004 दिनांक, 10 दिसम्बर 2004 का संलग्नक ।

अनुदान संख्या–22

लेखाशीर्षक–2216–आवास –04–सरकारी आवासीय /अनावासीय भवनो का अनुरक्षण (आयोजनेत्तर)
2216–01–700–04–0401–सामान्य मरम्मत

मद संख्या–	आवंटित धनराशि (हजार रूपये मे)
29–अनुरक्षण	10500
योग :– 0401	10500
	(रू0 एक करोड पॉच लाख मात्र)

2. अनुरक्षण 22 लेखाशीर्षक–2216 आवास–04 सरकारी आवासीय/अनावासीय भवनो का अनुरक्षण विशेष मरम्मत ।
2216–01–700–04–0402– विशेष मरम्मत

मद संख्या	आवंटित धनराशि (हजार रूपये मे)
25– लघु निर्माण कार्य	1567
29– अनुरक्षण	3433
योग:– 0402	5000
	(रू0 पचास लाख मात्र)

महायोग :– रू0 15500 हजार (रूपये एक करोड पचपन लाख मात्र)

(बी0के0 पन्त)
संयुक्त सचिव ।